[श्री योगेन्द्र शर्मा]

या नहीं यह तो तभी पता चलेगा जब सदन इस पर विचार करेगा...

श्री मधु लिमये : वह प्रैस नहीं करते हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : तब मामला खत्म है।

SHRI S. S. KOTHARI : In view of the fact that Mr. Madhu Limaye has pointed out that it is the convention of the House that we do not oppose the introduction of Private Members' Bills, I withdraw my objection.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 1956."

The motion was adopted.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : I introduce the Bill.

16.11 hrs.

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Sections 2, 3, etc.)

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954."

The motion was adopted.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : I introduce the Bill.

16.12 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL— *contd.*

(Omission of Article 314)
by Shri Madhu Limaye

MR. DEPUTY-SPEAKER : We take up further consideration of the Bill of Shri Madhu Limaye further to amend the Constitution of India. Originally the time allotted was one hour. We have taken four hours and 52 minutes and more Members would like to speak. Shri Raghuvir Singh Shastri may continue his speech.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार की सर्विसिस में यदि किन्हीं लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है तो वे समाप्त होने चाहियें। उसने कहा है कि सभी आदमियों को, सभी श्रेणियों को समान सुविधायें मिलनी चाहिएं, सब के लिए द्वार समान होने चाहियें और किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार किसी को नहीं मिलने चाहियें और जिन को मिले हुए हैं, उनके समाप्त होने चाहियें। प्रशासनिक सुधार आयोग की शिफारिशों को देखते हुए भी मैं यह समझता हूं कि यह बड़ा आवश्यक है कि भारत सरकार की जो सर्विसिस हैं, उनमें किसी एक खास सर्विस को अगर विशेषाधिकार मिले हुए हैं, तो उनको समाप्त किया जाना चाहिये। भारत सरकार की सर्विस में लगभग 27 लाख आदमी हैं और प्रान्तीय सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुये आदमियों को गिना जाए तो उन की संख्या करीब नव्वे लाख हो जाती है। देश की सरकारी सर्विसिस में लगभग नव्वे लाख लोग हैं। अब 80,90 या 100 आदमियों को जो विशेषाधिकार मिले हुये हैं, वे बड़े अखरते हैं और इसलिये वे समाप्त होने चाहियें।

अब प्रश्न पैदा होता है कि इसके लिये

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated 24-4-1970.